

पत्रां डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 437 / 2025

1. सुरजीत सिंह पुत्र चन्दसिंह } जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सावुआना तहसील
2. अग्नेज कौर पत्नी हजुरासिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण



बनाम्

1. चन्दसिंह }
2. बसन्तसिंह } पि० केहरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान सावुआना तहसील
3. हजुरासिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. लखवीरसिंह माता गोलो उर्फ सुखजिन्द्र कौर पुत्री चन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी
भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. राजपाल माता गोला उर्फ सुखजिन्द्र कौर पुत्री चन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड
नं० 17, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. गुरमीत कौर माता गोलो उर्फ सुखजिन्द्र कौर पुत्री चन्द्र सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी
वार्ड नं० 05, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ द्य
7. वीरपाल कौर पुत्री चन्दसिंह पत्नी रुपसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भाखरावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 17/10/25


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क.वादी सं० 1 सुरजीत सिंह को प्राप्त आराजी- चकनं० 2 एस. वी.एन के प०न० 223/203 मुं० 15 किलानं० 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु०, 9, 11, 12
ख. वादीया सं० 2 अग्नेज कौर को प्राप्त आराजी- चकनं० 2 एस.वी.एन के प०न० 223/203 मुं० 15 किलानं० 10/.253
ग. प्रतिवादी सं० 2 बसन्त सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 3 केएचआर के प०न० 231/200 मु० 64 किलानं० 19, 22, प०न० 231/201 मु० 69 किलानं० 1 / 1 /.228, 1 / 2 /.025 है० गै०मु० खाला, 2/1/.134 है० पश्चिमी दिशा, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 9/.031, 10/.101 है०

महसुद अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी

घ. प्रतिवादीसं० 3 हजूरसिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 3 केएचआर के प०न० 231/200 मु० 64 किलानं० 18,23, प०न० 231/201 मु० 69 किलानं० 2/1/.094 3/1/.203, 3/2/.025 गै०मु० खाला, 9/.007 पूर्वी दिशा है आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक न० चकनं० 3 केएचआर के खातासं० 26/13 में से चन्दसिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खातासं० 82/144 में से चन्दसिंह का नाम कलमजन, चक नं० 2 एसबीएन के खाता सं० 55/50 में से चन्दसिंह, हजूरसिंह, बसन्तसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उप (सत्यभारायण R.A.S)
पंचपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।